



मैंने प्रा. पर का आवेदन किया तथा  
 प्राप्ति के अधिकार की वसूली करने  
 से इनकार किया। प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत प्रा. पर  
 ७-९ ८-९ स्पष्टि धारा 151 का प्र. में अति  
 तन्म प्रथम हस्तगत अति प्रतीत होते हैं इसके  
 अतिरिक्त प्राप्ति द्वारा प्रा. पर की समुचित  
 में शपथ पर भी प्रस्तुत किया गया है। इन  
 आरोपों को खारिज करते हैं।

### आदेश

प्राप्ति का प्रा. पर आदेश 9 निम्न 9  
 स्पष्टि धारा 151 का प्र. का स्वीकार किया  
 जाता है तथा इस आधार पर प्रा. पर संख्या  
 162/2016 अन्तर्गत धारा 212 R.T.A को दिनांक  
 6.6.2017 को अद्य हाजरी में खारिज किया गया  
 जिसे पुनः नम्बर पर लिखे जाने बाबत आदेश  
 लिखे जाते हैं। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित  
 की जाएगी।

पतावासी बाप शाबाना रजिस्ट्रार के फौजदारी  
 मुकाम होकर नम्बर से कात हो।

